न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 257/2017/225 आर टी ए

1. बलवंतराम पुत्र मनीराम जाति नाई निवासी वार्ड न. 12 संगरिया तहसील संगरिया।
2. सुमित्रा बेवा रामकुमार पुत्र श्रीकृष्ण जाति नाई निवासी वार्ड नं. 21 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. मनोज पुत्र रामकुमार जाति नाई निवासी वार्ड नं. 21 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. दीपक पुत्र रामकुमार जाति नाई निवासी वार्ड नं. 21 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. किरण पुत्री रामकुमार जाति नाई निवासी वार्ड नं. 21 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. दुर्गा देवी पत्नि मनफूलसिंह जाति नाई निवासी वार्ड नं. 12 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. राजेन्द्र पुत्र मनफूलसिंह जाति नाई निवासी वार्ड नं. 12 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. गुरचरणसिंह पुत्र गजनसिंह जाति छिम्पा निवासी वार्ड न. 10 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. सुमनदेवी पुत्री श्रीकृष्ण पत्नि तोलाराम जाति नाई निवासी 24 एसडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. प्रेमलता पुत्री श्रीकृष्ण पत्नि चन्द्रशेखर जाति नाई सैन निवासी टालीवाला बोदला खुर्द तहसील अरनीवाला जिला फाजिल्का पंजाब।

–– रेस्पोडेंण्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 23.05.2017 न्यायालय उपखण्डाधिकारी संगरिया
प्रकरण संख्या 36/2016 अनवानी गुरचरणसिंह बनाम बलवंतराम आदि

उपस्थित :–
श्री ओमप्रकाश मोदी अधिवक्ता अपीलांटस
श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः–16.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 251ए पेशकर अपनी संयुक्त खाता मे दर्ज भूमि मे

आवागमन हेतु रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मे अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ता स्वीकृत कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता अपीलांट ने बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश गलत व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है। रेस्पो0 सं. 1 गुरचरण सिंह का अपने भाई के व परिवार व अन्य के साथ संयुक्त खाता है। जिसमे गुरचरण सिंह की 1.012 है0 संयुक्त खाता मे भूमि है। संयुक्त खाता का अभी तक खाता विभाजन नही हुआ है इसलिए गुरचरणसिंह की कोई विशिष्ट भूमि नही है। भूमि संयुक्त खाता मे है तथा संयुक्त खाता को मंजूरशुदा रास्ता उपलब्ध है। एक संयुक्त खातेदार मंजूरशुदा रास्ता से अपने हिस्सा की भूमि काश्त कर सकता है। उसे अन्य किसी व्यक्ति से रास्ता मांगने का कोई अधिकार नही है। वह अपने हिस्सा की भूमि का खाता विभाजन करवा कर संयुक्त खाता की भूमि मे से रास्ता मांग सकता है। प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी सं. 2 श्रीकृष्ण का दिनांक 13.03.2007 को स्वर्गवास हो चुका था, प्रार्थी रेस्पो0 ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी सं. 1, 3 व 4 को जवाब पेश करने का कोई अवसर प्रदान नही किया। पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के जवाब के लिए निशचित थी। पत्रावली मे अप्रार्थी सं. 2 के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.05.17 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प भगतपुरा मे ले जाकर अपीलांट/अप्रार्थीगण को जवाबदेही एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पत्रावली का एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध है। प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के विपरीत है। राजस्व लोक अदालत

मे उन्ही प्रकरणों का निर्णय किया जा सकता है जिसमे पक्षकारान की सहमति हो या पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया हो। धारा 251ए के अन्तर्गत नया रास्ता केवल तब बनाया जा सकता है जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो तथा रास्ता आवश्यकता अत्यधिक होनी चाहिए, केवल सुविधा आवश्यक नही है। अधिवक्ता अपीलांट अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2014(1) पेज 40, आरआरटी 2016(1) पेज 649, आरआरटी 2008(2) पेज 1216, आरआरटी 2009(1) पेज 139, आरआरडी 1994 पेज 215, आरआरडी 1994 पेज 217, आरआरडी 1994 पेज 505, आरआरडी 1994 पेज 606, आरआरडी 1996 पेज 474 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

4. अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए रास्ता स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई जिसमे अंकित किया गया है कि प्रार्थी अपने अपने खेत मे आवागमन हेतु कोई स्थाई रास्ता नही है। पक्षकार की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमे अप्रार्थीगण रास्ता देने हेतु सहमत नही थे और ना ही रास्ता के बदले मे भूमि लेने मे सहमत थे। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तहसीलदार रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपनी संयुक्त खाता मे दर्ज भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय बिना प्रभावित

पक्षकार को सुने एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ता स्वीकृत कर दिया। जबकि प्रथमतः तो रेस्पो0 सं. 1 द्वारा एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया और उसी मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया जो विधिपूर्ण नही है और दूसरा यह की रेस्पो0 सं. 1 की भूमि संयुक्त खाता मे संयुक्त खातेदार के रूप मे दर्ज है तथा संयुक्त खाता भूमि का विभाजन भी नही हुआ है इसलिए एक संयुक्त खातेदार संयुक्त भूमि का विभाजन करवाये बिना अपने संयुक्त खाते की भूमि लिये रास्ता की मांग नही कर सकता है और संयुक्त खाता के लिए पहले से ही मंजूरशुदा रास्ता उपलब्ध है। प्रभावित पक्षकार को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक मृत व्यक्ति (पक्षकार) के विरूद्ध आदेश पारित होने के कारण तथा संयुक्त खाता की भूमि के लिए मंजूरशुदा वैकल्पिक रास्ता होने के कारण अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2017 को निरस्त किया जाता है। अपीलाधीन आदेश के जरिये स्वीकृत किये गये रास्ता की ऐवज मे डीएलसी रेट की दुगुणा राशि जो रेस्पो0 सं. 1/प्रार्थी द्वारा खजाना राज मे जमा करवाई गई है, उक्त राशि रेस्पो0 सं. 1 गुरचरणसिंह को वापिस लौटाई जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ